संख्या-13/66/88-टी.सी.ए.-का-1/98

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 04 फरवरी, 1998

विषय: स्थायी प्रभाव देते हुये वेतनवृद्धि रोके जाने को शास्ति-आरोपण की प्रक्रिया ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कृपया कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-13/66/88-का-1/1990, दिनांक 31 मई, 1990 का अवलोकन करें । उक्त शासनादेश के अनुसार स्थायी प्रभाव देते हुये वेतन-वृद्धि का रोका जाना लघु दण्ड की श्रेणी में रखा गया है और तदनुसार उक्त दण्ड आरोपित करते समय आरोपित सरकारी सेवक से लघु दण्ड की प्रक्रिया ही अपनाये जाने की व्यवस्था विद्यमान है ।

2- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुलवन्त सिंह गिल बनाम पंजाब सरकार के बाद में दिये गये निर्णय के अनुसार स्थायी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड, बृहद दण्ड की श्रेणी में रखा गया है ।

3- इस विषय में शासन को प्राप्त विधिक परामर्श के अनुसार चूंकि स्थायी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड, बृहद दण्ड की श्रेणी में माना गया है, अत: उक्त दण्ड आरोपित करते समय बृहद दण्ड के लिये नियत प्रक्रिया अपनायी जानी अनिवार्य है ।

4- आपसे अनुरोध है कि, इस प्रकार के मामलों का निस्तारण उक्त-रोक्त के प्रकाश में करना कृपया सुनिश्चित कर लें ।

भवदीय,

(सुधीर कुमार)
सचिव ।

संख्या-13/66/88-टी.सी.का-1/98तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
(2) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग

आज्ञा से

(विक्रम बहादुर सिंह)
उप सचिव ।